चौथा-अध्याय

रायल्टी और अन्य देय राशियों का निर्धारण एवं संग्रहण

4.1 प्रस्तावना

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9(2) में प्रावधान है कि खनन पट्टे का धारक, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये और/या उपभोग किये गए किसी खनिज के संबंध में रायल्टी का भुगतान करेगा। पट्टेदारों को चाहिए कि वह विहित प्रारूप में मासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक विवरणी नियत दिनांको को प्रस्तुत करे। इन विवरणियों के आधार पर जि.ख.अ. पट्टेदारों के द्वारा जमा रायल्टी की सत्यता निर्धारित करते हैं। सभी पट्टों में, खानों के मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक विवरणियों/प्रतिवेदनों के आधार पर अर्द्धवार्षिक रायल्टी निर्धारण किया जाता है।

4.2 लौह अयस्क का लम्प और चूर्ण के रूप में गलत वर्गीकरण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम के अनुसार खनन पट्टे का धारक उस दर से जो उस खनिज के संबंध में द्वितीय अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट है, पट्टा क्षेत्र से हटाए गए किसी खनिज के संबंध में रायल्टी का भुगतान करेगा। 12 अगस्त 2009 तक लौह अयस्क लम्प और चूर्ण की रायल्टी की दर 65 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व के लिए क्रमशः ₹27प्रति टन एवं ₹19 प्रति टन, 65 से 62 प्रतिशत लौह तत्व के लिए क्रमशः₹16प्रति टन एवं ₹11 प्रति टन एवं 62 प्रतिशत से कम लौह तत्व के लिए क्रमश : ₹11 प्रति टन एवं ₹8 प्रति टन थी और तत्पश्चात विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार थी। पुनः भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो (भा.खा.ब्यू.) से स्पष्टीकरण (नवम्बर 2004) के अनुसार, 6 मि.मी. से अधिक आकार के अयस्क का वर्गीकरण लम्प एवं जो 6 मि.मी. से कम आकार के हैं उनका वर्गीकरण चूर्ण में किया है।

जि.ख.अ., दंतेवाड़ा में खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों और मासिक एवं वार्षिक विवरणियों की जाँच में हमने देखा(जून 2011) कि एक पट्टेदार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (रा.ख.वि.नि.) लिमिटेड, लौह अयस्क को लम्प और चूर्ण के रूप में प्रेषित कर रहा था और तद्नुसार रायल्टी भुगतान कर रहा था। 6 मि.मी. से नीचे के अयस्क को चूर्ण में वर्गीकृत करने के उपरोक्त स्पष्टीकरण के विपरीत रा. ख. वि. नि. बचेली काम्पलेक्स द्वारा 10 मि.मी. के नीचे के लौह अयस्क को चूर्ण में वर्गीकृत किया जबकि रा.ख.वि.नि. किरन्दुल काम्पलेक्स द्वारा मई 2009 तक 12.5 मि.मी. के नीचे के तथा जून 2009 से 10 मि.मी. के नीचे के लौह अयस्क को चूर्ण में वर्गीकृत किया था। इस

वर्गीकरण को अपनाकर पट्टेदार द्वारा अवधि 2006-07 से 2010-11 तक की अपनी विवरणियों में 5.97 करोड़ मी.ट. चूर्ण का खनन दर्शाया। विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

स.क्र.	काम्पलेक्स	निक्षेप क्र.	+65% लौह तत्व (मी.ट.)	-65%से +62% लौह तत्व (मी.ट.)	-62% लौह तत्व (मी.ट.)	चूर्ण का कुल उत्पादन (मी.ट.)
1	किरन्दुल	14,11सी	1,46,47,341	1,41,54,601	12,88,687	3,00,90,629
2	बचेली	5	1,20,19,698	53,73,346	3,88,860	1,77,81,904
3		10,11ए	44,30,995	54,14,863	19,74,000	1,18,19,858
योग			**3,10,98,034**	**2,49,42,810**	**36,51,547**	**5,96,92,391**

जि.ख.अ. के कार्यालय में लौह अयस्क के आकार अनुसार उत्पादन अभिलेख संधारित नहीं थे, अतः हम लम्प और चूर्ण की वास्तविक मात्रा और उस पर देय रायल्टी का आकलन करने में असमर्थ थे। हमने यह भी देखा कि लौह अयस्क का लम्प और चूर्ण के रूप में वर्गीकरण करने के लिए राज्य शासन ने कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि भा.खा.ब्यू. द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर लम्प और चूर्ण का आकार अधिसूचित करने के लिए, भारत सरकार को 25.10.2007 को एक संदर्भ किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि इस मामले पर राजस्व का रिसाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए लम्प और चूर्ण के आकार की अधिसूचना के संबंध में, राज्य शासन इस प्रकरण को भारत सरकार के साथ जारी रखे।

4.3 पर्यावरण उपकर और अधोसंरचना विकास उपकर

4.3.1 उत्खनि पट्टों पर पर्यावरण उपकर एवं अधोसंरचना विकास उपकर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ *(अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम 2005* के प्रावधानों के अधीन कोयला और लौह अयस्क को छोड़कर अन्य खनिज पट्टों के अधीन भूमि पर वार्षिक देय रायल्टी पर 5 प्रतिशत प्रत्येक की दर से अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर आरोपणीय है। पुनः, धारा 2(घ) के अनुसार "खनि पट्टे से अभिप्रेत है खा.ख.वि.वि.अधिनियम, 1957 के अंतर्गत स्वीकृत पट्टा। छ.ग.गौण खनिज नियमावली, 1996 के नियम 2(पचीस) के अनुसार उत्खनि पट्टा से अभिप्रेत है गौण खनिजों हेतु खनन पट्टा जैसा कि खा.ख.वि.वि.अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित है। पुनः, सं.भौ.ख. के आदेश (दिसम्बर 2009) के अनुसार उपकर उत्खनि पट्टों पर भी आरोपणीय है और वसूली खनिज विभाग के द्वारा की जाएगी। यह भी निर्देशित था कि उपकर के आरोपण एवं वसूली से संबंधित अभिलेख खनिज विभाग द्वारा संधारित की जाएगी।

दस[1] उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि दिसम्बर 2009 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा उत्खनि पट्टाधारियों से रायल्टी ₹ 79.10 करोड़ वसूल किया था परन्तु उक्त जमा रायल्टी पर अधोसंरचना विकास उपकर राशि ₹ 3.96 करोड़ एवं पर्यावरण उपकर ₹ 3.96 करोड़ का आरोपण करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.92 करोड़ के उपकर का अनारोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि उत्खनि पट्टों पर उपकर अरोपणीय नहीं है और उत्खनि पट्टों पर उपकर के आरोपण संबंधी सं.भौ.ख. के स्पष्टीकरण दिनांक दिसंबर 2009 को निरस्त करते हुए एक परिपत्र क्रं एफ/12-03/2007/12 दिनांक 15.12.2011 जारी किया। हम सहमत नहीं है क्योंकि उपकर अधिनियम 2005 की धारा 2(घ) प्रावधानित करती है कि खनन पट्टे के अधीन भूमि पर उपकर का आरोपण एवं संग्रहण किया जावेगा। पुनः, परिपत्र दिनांक 15.12.2011 के जारी होने के पूर्व सं.भौ.ख. द्वारा उत्खनि पट्टों पर उपकर के आरोपण पर कोई छूट प्रदान नहीं की गयी थी। इस स्थिति में उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. को उपकर का आरोपण और संग्रहण करना चाहिए था।

[1] बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर और सरगुजा

4.3.2 खनि पट्टों पर पर्यावरण उपकर और अधोसंरचना विकास उपकर की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम *2005,* के प्रावधानों के अधीन अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर, रायल्टी की देय राशि पर 5 प्रतिशत प्रत्येक की दर से आरोपणीय है। लौह अयस्क के प्रकरण में, उपकर प्रेषित मात्रा पर ₹ 5 प्रति टन प्रत्येक की दर से आरोपणीय है। पुनः, सं.भौ.ख. के आदेश (दिसम्बर 2009) के अनुसार उपकर खनिज विभाग द्वारा वसूली की जावेगी। यह भी निर्देशित किया गया था कि उपकर के आरोपण एवं संग्रहण से संबंधी अभिलेख खनिज विभाग द्वारा ही संधारित किया जावेगा।

दो[2] जि.ख.अ. के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच में हमने देखा (मई 2010 से मई 2011) कि 2006-07 से 2010-11 के मध्य चूनापत्थर और अन्य मुख्य खनिजों पर 43 पट्टेदारों ने रायल्टी ₹ 19.39 करोड़ का भुगतान किया। परन्तु, जि.ख.अ. ने उपकर राशि ₹ 1.94 करोड़ का आरोपण नहीं किया और इसकी वसूली के लिए लेखापरीक्षा दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसी तरह, यद्यपि दो अन्य पट्टेदारों ने 430.83 लाख मी.ट. लौह अयस्क का प्रेषण किया, विभाग ने एक प्रकरण में पर्यावरण उपकर का आरोपण नहीं किया और दूसरे प्रकरण में यद्यपि मांग सूचना जारी की गयी थी, जि.ख.अ. पर्यावरण और विकास उपकर राशि ₹ 42.91 करोड़ वसूल करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 44.84 करोड़ की वसूली नहीं हुई *(परिशिष्ट III)*।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि एक पट्टेदार (भिलाई इस्पात संयंत्र) के प्रकरण में सितंबर 2011 में मांग सूचना जारी की गई और आक्षेपित राशि ₹ 42.72 करोड़ में से फरवरी 2012 तक ₹ आठ करोड़ वसूल किया जा चुका है और पट्टेदार शेष राशि को किश्तों में जमा करने हेतु सहमत हो गया है। अन्य दो[3] प्रकरणों में जुलाई 2010 और सितंबर 2011 के मध्य आक्षेपित राशि वसूल की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में, यह कहा गया कि उपकर यथाशीघ्र वसूल कर लिया जायेगा।

[2] दुर्ग (मई 2010 और मई 2011) और कांकेर (जून 2010)
[3] ए.सी.सी.लि0 और गोदावरी इस्पात प्रा.लि.

4.4 कोयले पर रायल्टी का कम आरोपण

4.4.1 कोयले पर रायल्टी की गलत दर अपनाया जाना

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए/उपभोग किए गए खनिज पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से रायल्टी का भुगतान का उत्तरदायी है। भारत सरकार की अधिसूचना (अगस्त 2007) के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के कोयले की रायल्टी आर.ओ.एम. कोयले की बेसिक पिटहेड प्राइस के आधार पर नियत की जाती है। कोरिया-रीवा कोलफील्ड की बेसिक पिटहेड प्राइस कोरबा-रायगढ़ कोलफील्ड से अधिक थी। ख.रि.नियम के नियम 64 क के अनुसार, यदि पट्टेदार देय दिनांक पर रायल्टी भुगतान करने में चूक करता है, तो वह भुगतान देय दिनांक के 60वें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज भुगतान का दायी होगा।

उ.सं.ख.प्र., कोरबा, की खनन योजना और पट्टा प्रकरण नस्तियों की जांच में हमने देखा कि एक पट्टेदार प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को हसदेव अरण्ड क्षेत्र (चोटिया ब्लाक) में एक कोल ब्लाक आंवटित (जनवरी 2006) हुआ था, जो कोरिया-रीवा कोल्फील्ड में अवस्थित था। साउथ इस्टर्न कोल्फील्ड लिमिटेड (एस.इ.सी.एल.)[4] ने भी स्पष्ट किया (दिसंबर 2011) कि हसदेव-अरण्ड क्षेत्र कोरिया-रीवा कोल्फील्डस में अवस्थित है। रायल्टी के उद्देश्य के लिए, पटटेदार ने कोरबा-रायगढ़ कोल्फील्डस के लिए प्रयोज्य आर.ओ.एम. 'डी' की बेसिक पिटहेड कीमत को आधार माना और तद्नुसार प्रेषित मात्रा पर रायल्टी का भुगतान किया। हसदेव-अरण्ड क्षेत्र कोरिया-रीवा कोलफील्डस में अवस्थित है अतः रायल्टी की उच्चतर दर आरोपणीय थी। अगस्त 2007 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान पट्टेदार ने 35,20,870 मी.ट. डी ग्रेड कोयला उत्खनन कर प्रेषित किया और देय रायल्टी ₹ 43.10 करोड के विरूद्ध ₹ 39.31 करोड़ रायल्टी राशि का भुगतान किया। अतः,खदान की अवस्थिति से रायल्टी के भुगतान को सत्यापित करने में उ.सं.ख.प्र. के असफल रहने के परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 3.79 करोड़ का कम आरोपण हुआ। रायल्टी के कम भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 1.60 करोड़ भी आरोपणीय है *(परिशिष्ट IV)*।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि रायल्टी दर के निर्धारण के लिए मामला कोयला नियंत्रक के ध्यान में लाया जाएगा। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए(अगस्त 2012)।

[4] कोल इंडिया लिमिटेड का एक सहायक

4.4.2 न्यूनतम दर के अनुसार रायल्टी का कम भुगतान

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए या उपभोग किए गए खनिज पर द्वितीय अनुसूची में वर्णित दरों पर रायल्टी का भुगतान का उत्तरदायी है। पुनः, ख.रि.नियम के नियम 64(क) के अनुसार, यदि पट्टेदार देय दिनांक पर रायल्टी भुगतान करने में चूक करता है, तो वह भुगतान देय दिनांक के 60 वें दिवस से 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान तिथि तक ब्याज के भुगतान का दायी होगा। ख.सं.वि.नि., 1988 के नियम 52 के अनुसार, प्रत्येक खान का मालिक, एजेन्ट, माइनिंग इंजीनियर या प्रबंधक राज्य शासन के जिस इलाके में खान अवस्थित है वहां के कार्यालय में मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक विवरण की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। कोयला मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त 2007 के अनुसार, रायल्टी की दरें एक विशिष्ट और मूल्यानुसार दरों का योग होगी। कोयले की समान श्रेणी हेतु कोयले की कीमत कोर उपभोक्ताओं के प्रकरण में सबसे कम और नॉन-कोर उपभोक्ताओं एवं इ-खरीददारों के प्रकरण में थोड़ी अधिक होती है।

दो[5] उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. की मासिक विवरणियों की जांच में हमने देखा (जून 2011) कि, एक पट्टेदार साउथ इस्टर्न कोल्फील्डस लिमिटेड (एस.इ.सी.एल.) ने पट्टा क्षेत्र से 43.01 लाख मी.ट. कोयला प्रेषित किया और रायल्टी ₹ 51.48 करोड़ का भुगतान किया। पट्टेदार की मासिक विवरणियों में कोर उपभोक्ताओं[6], नॉन-कोर उपभोक्ताओं[7] और ई-खरीददारों को आपूर्ति की गयी कोयले की मात्रा और प्रयोज्य रायल्टी की दर दर्शायी नहीं गई है। तथापि भारत के कोयला नियंत्रक के द्वारा संबंधित श्रेणी के कोयले के लिए घोषित प्रयोज्य दर के अनुसार न्यूनतम देय रायल्टी (लेखापरीक्षा द्वारा कोर उपभोक्ता की दर पर संगणित) ₹ 77.35 करोड़ थी। संबंधित उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. पट्टेदार के द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरिणयों की जांच करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 25.87 करोड़ और उस पर ब्याज ₹ 13.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

[5] कोरबा और कोरिया

[6] उर्जा, खाद और रक्षा प्रभाग को आपूर्ति किए गए कोयले का वर्गीकरण कोर सेक्टर में किया गया है।

[7] उर्जा, खाद और रक्षा प्रभाग के अतिरिक्त आपूर्ति किए गए कोयले का वर्गीकरण नान-कोर सेक्टर में किया गया है।

(₹लाख में)

स. क्र.	जि.ख.अ	कॉलरी का नाम	कोयले की श्रेणी	अवधि	प्रेषित मात्रा (मी.ट.)	देय न्यूनतम रायल्टी (श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम दर के अनुसार)	भुगतान रायल्टी	कम भुगतान	आरोपणीय ब्याज
1	कोरबा	रजगामार	स्लैक'बी''	जूलाई 2008- सितम्बर 2010	1,13,838	222.11	149.92	72.19	26.50
		सुराकछार	स्टीम'बी'	अगस्त 2007- मार्च 2011	28,41,745	5,624.86	3,562.62	2,062.24	1,046.72
			स्लैक'सी''	अगस्त 2007- मार्च 2011	13,21,132	1,838.70	1,387.01	451.68	242.35
2	कोरिया	झगराखण्ड पश्चिम	स्टीम'ऐ'	अगस्त 2007	13,835	28.33	27.67	0.66	0.54
			स्लैक'बी''	अगस्त 2007	10,678	20.63	20.60	0.03	0.03
योग					**43,01,228**	**7,734.63**	**5,147.82**	**2,586.81**	**1,316.14**

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया कि रजगामार कॉलरी में स्टीम'बी' कोयले की कुछ मात्रा स्लैक 'बी' में मिश्रित हो गयी थी और एस.ई.सी.एल. ने विहित रायल्टी दरों के आधार पर रायल्टी का भुगतान किया। सुराकछार कॉलरी में पट्टेदार द्वारा जमा रायल्टी उचित थी। पश्चिम झगराखण्ड कॉलरी में आक्षेपित राशि ₹1.19 लाख वसूल की जा चुकी है।

शासन का उत्तर स्वीकार योग्य नही है क्योंकि सुराकछार कॉलरी की पिछली मासिक विवरणियों (अगस्त 2007 के पूर्व) में भुगतान की गयी रायल्टी कोयले की प्रेषित मात्रा के अनुरूप थी। रजगामार कॉलरी में, कोयले की प्रेषित मात्रा के साथ साथ जमा की गई रायल्टी राशि को लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात बदल दिया गया।

4.5 बॉक्साइट पर रायल्टी का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, बॉक्साइट के संदर्भ में रायल्टी की दर अयस्क में एलुमिना की मात्रा पर आरोपित की जाती है। सं.भौ.ख. के द्वारा जारी निर्देशों (मई 2006) के अनुसार संचालनालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अयस्क का नमूना लिया जाकर और एलुमिना मात्रा के प्रतिशत का विश्लेषण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 30 तारीख तक जि.ख.अ. को भेजा जाना आवश्यक था और परिणाम के आधार पर बॉक्साइट की रायल्टी निर्धारित की जानी थी।

जि.ख.अ., सरगुजा, के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा की एक पट्टेदार, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) 43 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक की सीमा के एलुमिना श्रेणी के बॉक्साइट (इसके कोरबा संयंत्र में उपयोग) पर रायल्टी का भुगतान कर रहा था। परंतु, खनन योजना के अनुसार, कोरबा संयंत्र में आवश्यक एलुमिना की औसत श्रेणी 48 प्रतिशत थी। मैनुअल छँटनी के द्वारा अयस्क की औसत श्रेणी 48 प्रतिशत पर रखी जाती थी। इस प्रकार संयंत्र में प्रेषित एवं उपयोग की गई एलुमिना 48 प्रतिशत की थी परंतु रायल्टी के निर्धारण के दौरान यह 43 से 47 प्रतिशत के मध्य लिया गया। हमने आगे देखा कि मई 2006 और मार्च 2011 के मध्य सं.भौ.ख. के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, ने मात्र सात अवसरो पर अयस्कों का नमूना संग्रहण और जाँच किया। नमूना जांच के परिणाम के आधार पर, बॉक्साइट अयस्क में एलुमिना की औसत श्रेणी 48 प्रतिशत से अधिक थी। परंतु, रायल्टी के निर्धारण के दौरान, जि.ख.अ. ने नमूना जाँच के परिणामों पर विचार नही किया और पट्टेदार की विवरणियो को स्वीकार कर लिया। जुलाई 2006 से दिसंबर 2010 के दौरान पट्टेदार ने 25.55 लाख मी.ट. बॉक्साइट का प्रेषण किया और देय रायल्टी ₹ 27.81 करोड़ के विरूद्ध ₹ 26.07 करोड़ का भुगतान किया। जि.ख.अ. ने न तो नमूना जाँच के परिणामों पर विचार किया और न ही क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, से अन्य माहों के नमूना परिणामों को प्राप्त करने के लिए पहल की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.74 करोड़ की रायल्टी का कम आरोपण हुआ। ब्याज ₹ 83.13 लाख भी आरोपणीय था।

बहिर्गमन सम्मेलन में, शासन ने बताया कि मई 2006 में रायल्टी निर्धारण के पूर्व नमूनों की प्रयोगशाला जाँच द्वारा बॉक्साइट अयस्क में एलुमिना की प्रतिशत मात्रा का निर्धारण करने संबंधी परिपत्र जारी किया जा चुका है। जि.ख.अ. को पूर्व निर्धारणों में एलुमिना की प्रतिशतता की जाँच हेतु पुनः निर्देश जारी किए गए है और यदि कोई रायल्टी का कम निर्धारण ध्यान में आता है, तो इसे पट्टेदार से वसूल किया जावेगा। विभाग ने यह भी कहा कि विभिन्न पट्टा क्षेत्रों से समय समय पर एलुमिना की श्रेणी की जाँच की जा रही है और नमूना संग्रहण प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया जायेगा।

4.6 लौह अयस्क पर रायल्टी का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम प्रावधान करता है कि खनन पट्टे का धारक उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाई गयी या उपभोग की गयी खनिज पर रायल्टी का भुगतान करेगा। लौह अयस्क पर रायल्टी की दर खनिज में उपलब्ध लौह तत्व की मात्रा पर आधारित होती है। सितंबर 2010 में आयोजित एक समीक्षा बैठक में, सचिव (खनिज साधन विभाग) ने समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया था कि वे जि.ख.अ. को रायल्टी निर्धारण हेतु लौह, बॉक्साइट और टिन अयस्क के नमूना विश्लेषण परिणाम उपलब्ध करावें।

जि.ख.अ. दुर्ग, की मासिक विवरणियों, खनन योजनाओं और पट्टा प्रकरण नस्तियों की जाँच के दौरान हमने देखा कि भिलाई इस्पात संयंत्र को राजहरा (मशीनीकृत खदान) में लौह अयस्क का खनन पट्टा 1958 में प्रदान किया गया और अप्रैल 2003 में 20 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया। 2006-07 से 2010-11 की अवधि में, लौह अयस्क में लौह तत्व की मात्रा सत्यापित किए बिना रायल्टी का भुगतान किया गया। खनन योजना और खनन स्कीम में दर्शित रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर अयस्क में लौह तत्व 65 प्रतिशत से अधिक थे। दिसंबर 2007 में क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा लौह अयस्क के किए गए नमूना जाँच में लौह तत्व की मात्रा 65 प्रतिशत से अधिक थी। 2003-04 से 2007-08 के दौरान पट्टेदार ने भी अपने खनन योजना में दर्शाया था कि क्रशिंग और छनाई संयंत्र में डाली गई आर.ओ.एम. की गुणवत्ता 65 प्रतिशत से अधिक थी।

2006-07 से 2010-11 के दौरान, पट्टेदार ने 63,70,540 मी.ट. लौह अयस्क उत्खनित किया और देय रायल्टी ₹ 94.20 करोड़ (65 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व) के विरूद्ध 62 से 65 प्रतिशत लौह तत्व पर रायल्टी ₹ 72.38 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार लौह अयस्क में लौह तत्व के सत्यापन न किए जाने से रायल्टी ₹ 21.82 करोड़ का कम आरोपण हुआ। ब्याज ₹ 5.91 करोड़ भी आरोपणीय था।

बहिर्गमन सम्मेलन में, शासन ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रयोगशाला प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मामले का परीक्षण किया जावेगा। विभाग उत्खनित खनिज की श्रेणी/गुणवत्ता के आधार पर रायल्टी का संग्रहण करता है न कि खनन योजना के आधार पर। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि न तो क्षेत्रीय कार्यालय ने अयस्क का नमूना संग्रहण एवं जांच किया और न ही सितम्बर 2010 के निर्देशों का जि.ख.अ. द्वारा पालन किया गया।

4.7 कोयले पर रायल्टी का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए गए/उपभोग किए गए खनिज पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से रायल्टी का भुगतान करने का उत्तरदायी है। भारत सरकार की अधिसूचना (अगस्त 2007) के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के कोयले की रायल्टी दरें आर.ओ.एम. कोयले की बेसिक पिटहेड मूल्य के आधार पर नियत की जाती है। कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक मार्च 2010 को चोटिया कोल ब्लॉक, सीम II के कोयले की श्रेणी आर.ओ.एम. 'डी' इस शर्त पर अधिसूचित की थी कि, निरीक्षण के पश्चात या नमूना लेने से यदि घोषित श्रेणी अधिसूचित श्रेणी से मेल नही करती है तो, खान का मालिक, एजेंट या प्रबंधक कोयला नियंत्रक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार श्रेणी को संशोधित करने के लिए बाध्य होगा।

उ.सं.ख.प्र., कोरबा के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों, मासिक विवरणियों और खनन योजनाओं की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि एक पट्टेदार, प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (प्र.इ.लि.) को 2006 में चोटिया क्षेत्र में कोयला ब्लॉक आबंटित हुआ था। पट्टा जारी करने के समय से ही पट्टेदार चोटिया कोयला ब्लाक-1 की सीम II से कोयला उत्खनन कर रहा था और 'डी' श्रेणी कोयले पर रायल्टी का भुगतान कर रहा था। परंतु, कोयला नियंत्रक द्वारा अनुमोदित मूल खनन योजना और संशोधित खनन योजना के आधार पर चोटिया ब्लाक-1 की सीम II के खनिज भण्डार की श्रेणी क्रमशः[8] 'बी' (10 प्रतिशत) 'सी' (61 प्रतिशत) और 'डी' (29 प्रतिशत) थी। पट्टेदार की खनन योजना भी ब्लॉक में कोयला भंडार की श्रेणी 'ए' से 'ई' दर्शाती थी। इसके अलावा, पट्टा विलेख निष्पादन के समय पट्टेदार ने 'सी' और 'डी' श्रेणी के कोयले के आधार पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का भुगतान किया था।

2006-07 से 2010-11 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर ने जनवरी 2007, अक्टूबर 2009 और अक्टूबर 2010 में लिए गए नमूनों की जाँच की और इनमें कोयले की श्रेणी क्रमशः जी, सी और डी होना पाया गया। कोयला नियंत्रक, कोलकाता ने भी जनवरी 2010 में सीम से लिए गए कोयले के नमूने का परिणाम 'बी' श्रेणी सूचित किया था।

2006-07 से 2010-11 के दौरान, पट्टेदार ने 44,42,329 मी.ट. कोयला प्रेषित किया और 'डी' श्रेणी की दर पर रायल्टी का भुगतान किया। खनन योजना में दर्शित श्रेणी के आधार पर बी, सी और डी श्रेणी के कोयले की मात्रा क्रमशः 4,44,233 मी.ट., 27,09,821 मी.ट. और 12,88,275 मी.ट. थी। तद्नुसार रायल्टी राशि ₹ 62.29 करोड़ आरोपणीय थी। इसके

[8] सर्वेयर के प्रतिवेदन के अनुसार चोटिया ब्लाक-1 की सीम II में 10 से 20 मीटर गहराई तक कोयले का उत्खनन किया गया है। इस गहराई पर कुल 4.598 मी.ट. कोयला भण्डार है। खनन योजना में दर्शाए अनुसार इसमें से 0.455 मी.ट. 'बी' श्रेणी कोयला 2.818 मी.ट. 'सी' श्रेणी तथा 1.325 मी.ट. 'डी' श्रेणी कुल कोयला भण्डार था जो कुल मिलाकर क्रमशः 10 प्रतिशत, 61 प्रतिशत एवं 29 प्रतिशत होता है।

विरूद्ध उ.सं.ख.प्र. कोरबा ने ₹ 47.14 करोड़ आरोपित और संग्रहित की। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 15.14 करोड़ का कम आरोपण हुआ। ब्याज राशि ₹ 7.96 करोड़ भी आरोपणीय थी *(परिशिष्ट V)*।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया कि मामला कोयला नियंत्रक के ध्यान में लाया जाएगा जो कोयला खदानों में कोयले की श्रेणी के वैधानिक घोषणा के लिए उत्तरदायी हैं। आगे प्रतिवेदन प्राप्त नही हुए है (अगस्त 2012)।

4.8 प्रक्रियागत हानि पर अनियमित छूट

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली के नियम 30(ख) के अनुसार, पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र में उपभोग होने वाली या परिवहन किये गये खनिज की मात्रा पर अनुसूची III मे तत्समय प्रचलित दर से रायल्टी का भुगतान करेगा।

उ.सं.ख.प्र., रायपुर में पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि चूनापत्थर के 13 उत्खनिपट्टा धारियों ने जनवरी 2006 और दिसंबर 2010 के मध्य, 132.07 लाख घनफीट चूनापत्थर बोल्डर का क्रशिंग के लिए उपयोग किया और 115.06 लाख घ.फी. चूनापत्थर गिट्टी (मेटल) उत्पादन किया। इस प्रक्रिया में, 17.01लाख घ.फी. (85,066 मी.ट.) चूनापत्थर हानि के रूप में दर्शाया गया। यह हानि 5.6 से 28.8 प्रतिशत की सीमा के मध्य थी। खनि निरीक्षक के निर्धारण प्रतिवेदनों में, रायल्टी केवल उत्पादित मेटल पर ही निर्धारित की गई और पट्टेदार द्वारा दर्शित हानि पर नही की गई। चूंकि छ.ग.गौ.ख. नियमावली में प्रक्रियागत हानि पर छूट का कोई प्रावधान नही है, प्रक्रियागत हानि पर रायल्टी की छूट अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 48.37 लाख की अनियमित छूट प्रदान की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन में, शासन ने बताया कि जब डस्ट विक्रय की जाती है तब पट्टेदार रायल्टी का भुगतान करता है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि निर्धारण प्रतिवेदन में न तो डस्ट का उत्पादन दर्शाया गया था और न ही डस्ट पर रायल्टी निर्धारित की गई थी।

4.9 रायल्टी और उस पर ब्याज की कम वसूली

खा.ख.वि.वि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत खनि पट्टाधारी, पट्टाक्षेत्र से हटाए गए या उपभोग किए गए खनिज पर रायल्टी का भुगतान करने के दायित्वाधीन है। अतः, जैसे ही खनिज हटाया जाता है, रायल्टी देय हो जाती है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार माँग की जा सकती है। सं.भौ.ख. के निर्देशों (अप्रैल 2006) के अनुसार प्रत्येक छह माह में एक बार रायल्टी का निर्धारण किया जाना होता है।

जि.ख.अ., दंतेवाडा के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों, निर्धारण अभिलेखों और मासिक विवरणियों की नमूना जाँच में हमने पाया कि जि.ख.अ. ने पट्टेदार (एन.एम.डी.सी) की जनवरी 2003 से जून 2007 तक की अवधि की देय रायल्टी विवरणियों के आधार पर ₹ 18.53 करोड़ का निर्धारण किया और माँग सूचना

(दिसम्बर 2007) जारी कर दी। इसके विरुद्ध पट्टेधारी ने इस दलील के साथ कि छःमाही विवरणियों में आंकड़े सही नही थे, ₹ 4.45 करोड़ की रायल्टी का भुगतान जून 2008 में किया। इसके बावजूद जि.ख.अ. द्वारा न तो पट्टेधारी की दलील का परीक्षण करने हेतु कोई कार्यवाही की और न ही वसूली योग्य बकाया राशि की गणना और वसूली की गई।

आगे, उ.सं.ख.प्र., रायपुर और जि.ख.अ., रायगढ़ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो पट्टेधारियों द्वारा समेकित रायल्टी ₹ 9.18 करोड़ का भुगतान किया गया। हमारे द्वारा मासिक विवरणियों और अन्य अभिलेखों से रायल्टी की गणना करने पर उजागर हुआ कि इन पट्टेधारियों के विरूद्ध रायल्टी की राशि ₹ 9.65 करोड़ आरोपणीय थी। उसंखप्र/जिखअ (रायगढ़/रायपुर) द्वारा न तो देय रायल्टी का निर्धारण किया गया और न ही रायल्टी की वसूली हेतु कोई माँग सूचना जारी की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 47 लाख की कम वसूली हुई। ब्याज राशि ₹ 12 लाख भी आरोपणीय थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹लाख में)

स.क्र.	उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ.	खनिज	देय रायल्टी	भुगतान की गई रायल्टी	कम प्राप्ति	ब्याज
1	दन्तेवाड़ा	लौह अयस्क	1853.29	444.96	1408.33	1070.33
2	रायगढ़	कोयला	951.87	906.83	45.04	11.50
3	रायपुर	चूनापत्थर	13.42	11.59	1.83	0.04
योग			**2818.58**	**1363.38**	**1455.20**	**1081.87**

बहिर्गमन सम्मेलन के समय और फरवरी 2012 में दिये गये उत्तर में शासन ने कहा कि दंतेवाडा में, संचालक स्तर पर रायल्टी की जाँच और निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया जावेगा। रायगढ़ में, ₹ 65.51 लाख में से, ₹ 44.41 लाख जनवरी 2011 से अप्रैल 2011 के मध्य जमा हो गया। ब्याज राशि ₹ 21.10 लाख अक्टूबर 2011 में जमा हो गया। इसी प्रकार, रायपुर में आपत्ति की राशि ₹ 13.42 लाख की पूर्ण वसूली हो चुकी है। यह तथ्य रह जाता है कि जि.ख.अ., दंतेवाडा में विभाग मुद्दे को सुलझाने और चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पट्टेधारी से वसूलनीय बकाया की वसूली करने में असफल रहा। रायगढ़ और रायपुर के प्रकरण में उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राशि से संबंधित नही है। आगामी उत्तर प्राप्त नही हुआ (अगस्त 2012)।

4.10 रायल्टी के भुगतान में विलम्ब पर ब्याज का अनारोपण

ख.रि. नियम के नियम 64 (क) के अनुसार, यदि पट्टेधारी रायल्टी नियत दिनांक को जमा नही करता है, तो वह नियत दिनांक की समाप्ति की तारीख के साठवे दिन से भुगतान किए जाने की तिथि तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

दो उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों, निर्धारण और मासिक विवरणियों की जाँच में पाया गया कि चार प्रकरणों में पट्टाधारियों ने जनवरी 2003 से मार्च 2009 की अवधि से संबंधित रायल्टी को नियत दिनांकों के बाद जमा किया। देरी की

अवधि 120 दिनों से 365 दिनों की सीमा के मध्य थी जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

स.क्र.	उसंखप्र/ जिखअ	पट्टेधारी का नाम	प्रकरणों की संख्या	भुगतान की गई रायल्टी की राशि	देरी की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय ब्याज 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष	अनियमितताओं की प्रकृति
1	दंतेवाडा	एन एम डी सी लिमि.	1	805.12	120-150	73.31	रायल्टी की शेष राशि जो जनवरी 2003 से जून 2007 की अवधि से संबंधित थी, पट्टेधारी द्वारा मई और जून 2008 में 120 से 150 दिनों के विलम्ब के पश्चात जमा कराई गई।
2	रायपुर	1. मे. ग्रासिम सीमेंट 2. मे. अम्बुजा सीमेंट	3	177.41	330-365	41.14	रायल्टी की शेष राशि जो फरवरी 2009 से मार्च 2009 की अवधि से संबंधित थी, पट्टेधारी द्वारा फरवरी एवं मार्च 2010 में 335 से 365 दिनों के विलम्ब के पश्चात जमा किया गया।
	योग		**4**	**982.53**		**114.45**	

तथापि उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा ब्याज राशि ₹ 1.14 करोड़ का आरोपण नही किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ ब्याज की वसूली नही हुई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि रायपुर जिले में ₹ 41.14 लाख की आपत्ति राशि अक्टूबर 2010 और सितम्बर 2011 में पूर्ण रूप से वसूली हो चुकी है। जि.ख.अ. दंतेवाडा के संबंध में शासन ने कोई उत्तर नही दिया।

4.11 रायल्टी और ब्याज की राशि का कम निर्धारण

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमों के नियम 29(4)के अनुसार, पट्टेदार खनिजों के हटाए जाने या उपभोग करने पर अनुसूची III में समय समय पर दी गई दरों के अनुसार रायल्टी का भुगतान करेगा। नियम 30(1)(ख) में प्रावधान है कि पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए जाने वाली या परिवहन की गई खनिज मात्रा के संबंध में रायल्टी का भुगतान करेगा। नियम 30(1)(घ) में प्रावधान है कि रायल्टी भुगतान में चूक पर पट्टेदार 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। नियम 30 (14) के अनुसार पट्टेदार द्वारा उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन रायल्टी भुगतान के पूर्व उसे पहले के उपयोग किये गये सभी अभिवहन पास की दूसरी प्रतियों की पुस्तक के साथ उपयोग न किए गए अभिवहन पास की पुस्तक जो उसे जारी की गई थी समर्पित करेगा और नए अभिवहन पास जारी किए जाएगें।

जि.ख.अ. राजनांदगाँव के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की जाँच में हमने पाया कि एक पट्टाधारी, अशोका बिल्डकान लिमिटेड को अगस्त 2007 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए मारगाँव (6.25 एकड़) में बोल्डर के लिए पट्टा दिया गया। जनवरी 2008 से जून 2009 की अवधि में, जिखअ द्वारा 8400 अ.पा. जारी किए गए। प्रत्येक अ.पा. पर पट्टेधारी द्वारा 10 घ.मी. चूनापत्थर का परिवहन किया गया किन्तु जि.ख.अ. ने कुल उपयोग लाए गए अ.पा. को ध्यान में रखे बिना मात्र 4199 अ.पा. पर रायल्टी का निर्धारण किया। उपरोक्त अवधि में जि.ख.अ. ने देय रायल्टी ₹ 33.60 लाख (₹ 40 प्रति घ.मी.) के विरूद्ध रायल्टी राशि ₹ 16.57 लाख का निर्धारण किया। इस अवधि में पट्टेधारी द्वारा ₹ 29 लाख की रायल्टी अग्रिम जमा की गई। अतः अन्तर की रायल्टी ₹ 4.60 लाख का न तो जि.ख.अ. द्वारा निर्धारण किया गया और न ही इसकी वसूली के लिए माँग जारी की गई। ब्याज ₹ 1.75 लाख भी आरोपणीय था।

बहिर्गमन सम्मेलन मे शासन ने कहा कि मामले का प्रतिसत्यापन पट्टाधारी के अभिलेखों से किया जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर प्राप्त नही हुआ है (अगस्त 2012)।

4.12 अनुशंसाएँ

- *नियमो के अनुरूप रायल्टी प्रभारित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक क्रियाविधि लागू करने पर शासन विचार कर सकता है।*
- *राजस्व की हानि रोकने हेतु मासिक विवरणियों की नियमित जाँच करने के लिए और उनका मिलान संबंधित अभिलेखों से करने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए।*
- *छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम **2005** के प्रावधानों के अनुरूप उपकर का आरोपण किए जाने हेतु सभी जि.ख.अ. को निर्देश जारी किए जाने हेतु शासन विचार कर सकता है।*
- *कोर उपभोक्ताओं, नान-कोर उपभोक्ताओं और ई.क्रेताओं को पूर्ति किए गए कोयले की मात्रा और उसकी दर के विवरण को मासिक विवरणी में दर्शाए जाने के संबंध में शासन विचार कर सकता है।*
- *विभागीय स्तर पर लौह अयस्क के नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने तथा खनन योजना में दर्शाई गई श्रेणी की प्रत्येक माह तुलना करने के संबंध में एक तंत्र का विकास करने पर शासन विचार कर सकता है।*
- *कोयले के नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने पर घोषित श्रेणी में अंतर पाए जाने पर कोयला नियंत्रक को सूचित करने संबंधी एक तंत्र का विकास करने पर शासन विचार कर सकता है।*